

# न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 23/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रताप पुत्र माला जाति मेघवाल निवासी दर्ईपुर तहसील रानीवाडा जिला-जालोर		1. दीपक कुमार पुत्र अशोक कुमार नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता ममतादेवी पत्नि अशोक कुमार 2. ममतादेवी पत्नि अशोक कुमार 3. मृतक रेवा पुत्र राजा के कायम मुकाम वारीसान:- 3/1. अरविन्द पुत्र रेवा 3/2. अंकित पुत्र रेवा 3/3. गोविन्द पुत्र रेवा ना. बा. जरिये कुदरती वली माता बबी पत्नि रेवा:- 3/4. हंसा पुत्री रेवा 3/5. कुखी पुत्री रेवा ना.बा. जरिये कुदरती वली माता बबी पत्नि रेवा 3/6. बबी पत्नि रेवा 4. वचना पुत्र राजा 5. मंसा पुत्र राजा 6. संतोक पत्नि राजा 7. छगना पुत्र अणदा 8. चुना पुत्र अणदा 9. बाबू पुत्र अणदा 10. कृष्ण पुत्र माला 11. कान्ती पुत्र माला 12. वीरमा पुत्र माला जातियान मेघवाल निवासीयान दर्ईपुर 13. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा रानीवाडा 14. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा



दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188  
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादी के अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3/3, 3/5 से 3/9 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।

निर्णय

दिनांक - 15/5/2024

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 27.09.2022 को मौजा दर्ईपुर की खातेदारी आराजी  
खेत खसरा नंबर 353, 354, 355, 355/855, 658, 830 रकबा कमशः 1.08, 0.01, 2.24, 0.  
22, 3.35, 2.81 हेक्टेयर जुमले रकबा 9.71 हेक्टेयर की आराजी में वादी व प्रतिवादीगण के

15/5/24

बीच कब्जा-काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/909 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राज./2023/364 दिनांक 18.07.2023 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपरिथत पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा मैरिट पर निर्णय करने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन करने व उभयपक्षकारान अधिवक्ता के बहस तथ्यों पर मनन करने पर हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार की जाती है।


क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टो में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टो में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	प्रतापा पुत्र माला जाति मेगवाल सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण रहन बीओआई बैंक शाखा रानीवाडा	830	2.81	0.97	बा.सा.	लाल	2.91
2.	कृष्ण पुत्र माला हिस्सा 1/9 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार, रहन जा.स.भू.वि.बैंक लि. शाखा रानीवाडा, कांति पुत्र माला हिस्सा 1/9, तारा पत्नी माला हिस्सा 1/9, वीरमा पुत्र माला हिस्सा 1/9, छगन पुत्र अणदा हिस्सा 1/9, मंशा पुत्र राजा हिस्सा 1/36, रेवा पुत्र राजा हिस्सा 1/36, वचना पुत्र राजा हिस्सा 1/36, संतोक पत्नी राजा हिस्सा 1/36 कौम मेगवाल सा. देह खातेदार, चुना	353	1.08	0.73	चा.दो.	हरा	21.17
				0.35	जा.दो.		2.80
		354	0.01	0.01	गै.मु बेरा		
		355	2.44	1.48	चा.दो.	42.92	
				0.76	जा.दो.	6.08	
		355/855	0.22	0.22	गै.मु. रास्ता	-	
		658	3.35	3.35	बा.सो.	6.70	

15/5/23

पुत्र अणदा हिस्सा 1/9 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन बीओआई शाखा रानीवाडा, नाबालिक दीपक पुत्र अशोक कुमार हिस्सा 1/18 रहन एसबीआई शाखा रानीवाडा, ममतादेवी पत्नी अशोक कुमार हिस्सा 1/18 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा रानीवाडा, बाबु पुत्र अणदा हिस्सा 1/9 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन बीओआई शाखा रानीवाडा।	830	2.81	1.84	बा.सो.		5.52
--	-----	------	------	--------	--	------

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयों नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर

रानीवाडा जिला सांचौर

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर

रानीवाडा जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

# डिक्री व मुकदमें इत्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रताप पुत्र माला जाति मेघवाल निवासी दर्ईपुर तहसील रानीवाडा जिला-जालोर		<ol style="list-style-type: none"><li>1. दीपक कुमार पुत्र अशोक कुमार नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता ममतादेवी पत्नि अशोक कुमार</li><li>2. ममतादेवी पत्नि अशोक कुमार</li><li>3. मृतक रेवा पुत्र राजा के कायम मुकाम वारीसान:- 3/1. अरविन्द पुत्र रेवा 3/2. अंकित पुत्र रेवा 3/3. गोविन्द पुत्र रेवा ना. बा. जरिये कुदरती वली माता बबी पत्नि रेवा:- 3/4. हंसा पुत्री रेवा 3/5. कुखी पुत्री रेवा ना.बा. जरिये कुदरती वली माता बबी पत्नि रेवा 3/6. बबी पत्नि रेवा</li><li>4. वचना पुत्र राजा</li><li>5. मंसा पुत्र राजा</li><li>6. संतोक पत्नि राजा</li><li>7. छगना पुत्र अणदा</li><li>8. चुना पुत्र अणदा</li><li>9. बाबू पुत्र अणदा</li><li>10. कृष्ण पुत्र माला</li><li>11. कान्ती पुत्र माला</li><li>12. वीरमा पुत्र माला जातियान मेधवाल निवासीयान दर्ईपुर</li><li>13. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा रानीवाडा</li><li>14. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा</li></ol>

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 23/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कर्त्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री अमृतलाल कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 3/3, 3/5 से 3/9 की ओर से वकिल श्री मोहनलाल विश्णोई उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3/4, 11, 13 व 14 के विरुद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

2/15/19

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टो में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टो में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगा न राशि
1	प्रतापा पुत्र माला जाति मेगवाल सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण रहन बीओआई बैंक शाखा रानीवाडा	830	2.81	0.97	बा.सा.	लाल	2.91
2	कृष्ण पुत्र माला हिस्सा 1/9 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार, रहन जा.स.भू.वि.बैंक लि. शाखा रानीवाडा, कांति पुत्र माला हिस्सा 1/9, तारा पत्नी माला हिस्सा 1/9, वीरमा पुत्र माला हिस्सा 1/9, छगन पुत्र अणदा हिस्सा 1/9, मंशा पुत्र राजा हिस्सा 1/36, रेवा पुत्र राजा हिस्सा 1/36, वचना पुत्र राजा हिस्सा 1/36, संतोक पत्नी राजा हिस्सा 1/36 कौम मेगवाल सा. देह खातेदार, चुना पुत्र अणदा हिस्सा 1/9 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन बीओआई शाखा रानीवाडा, नाबालिक दीपक पुत्र अशोक कुमार हिस्सा 1/18 रहन एसबीआई शाखा रानीवाडा, ममतादेवी पत्नी अशोक कुमार हिस्सा 1/18 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा रानीवाडा, बाबु पुत्र अणदा हिस्सा 1/9 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार रहन बीओआई शाखा रानीवाडा।	353	1.08	0.73	चा.दो.	हरा	21.17
				0.35	जा.दो.		2.80
		354	0.01	0.01	गै.मु बेरा		
		355	2.44	1.48	चा.दो.	42.92	
				0.76	जा.दो.	6.08	
		355/855	0.22	0.22	गै.मु रास्ता	-	
		658	3.35	3.35	बा.सो.	6.70	
		830	2.81	1.84	बा.सो.	5.52	

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्यागण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयों नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा

15/5

जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/05/2024 को जारी की गई।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर - सांचीवादा

मुददई	रूपया	पैसा	मुददयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्जर	0	00	फीस कमीष्जर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	2	00